अनुदान संख्या 85 – सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
GRANT No. 85–DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*80,00*	*25,64*	*–54,36*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	11960,30,00		11960,32,00	11444,77,76	–515,54,24
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					419,65,20
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*5,70,00*	*2,92,37*	*–2,77,63*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	11644,25,00		11644,26,00	11363,07,65	–281,18,35
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					255,07,68

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *54.36 लाख रु.* की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 68 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of *Rs.54.36 lakhs* occurred under one head constituting 68 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5278.00			
			4695.15	4369.76	–325.39
पु.	R.	–582.85			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1017.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–1017.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	912408.00			
पू.	S.	2.00	910753.76	907047.73	–3706.03
पु.	R.	–1656.24			
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	5000.00			
			4245.00	4388.37	+143.37
पु.	R.	–755.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	266728.00			
			232145.89	226394.90	–5750.99
पु.	R.	–34582.11			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	5599.00	2227.00	2277.00	+50.00
पु.	R.	–3372.00			

(I) 12577.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 12377.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.12577.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.12377.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "सामरिक महत्व की तथा सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड सड़क निर्माण कार्य" - 1017.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" – "Strategic and Border Roads - Road Works - Road Works BRDB" – Rs.1017.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - राज्य राजमार्ग (सडक एवं सेतु) - अन्य अनुदान - आर्थिक महत्व की सड़कें" - 11000.00 लाख रु. परियोजना प्रस्तावो का समाशोधन न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - State Highways (Roads & Bridges) - Other Grants - Roads of Economic Importance" - Rs.11000.00 lakhs - due to non-clearance of project proposals.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - पांडिचेरी में सड़कें" - 360.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकार द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads in Pondicherry" – Rs.360.00 lakhs - due to non-submission of proposal by the Union Territory Government of Pondicherry.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत 908.24 लाख रु. की बचत (5278.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) विदेश यात्राओं की संख्या कम होने और सीमा सड़क स्कंध द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन किए जाने में प्रकियात्मक विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways" – saving of Rs.908.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5278.00 lakhs) was due to less number of foreign tours and procedural delays in Information Technology upgradation by Border Roads Wing.

(III) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) '' राष्ट्रीय राजमार्ग'' -

(क) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्करों का रखरखाव'' - 120.13 लाख रु. बचत (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 2958.46 लाख रु. बचत (79210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष अदायगी प्रक्रिया न होने के परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया होने की वजह से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किए गए व्यय का लेखा-जोखा न रखे जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण'' - 182.71 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरणों की स्थापना किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें'' -

(क) ''सड़क निर्माण कार्य - सड़क रख-रखाव'' - 1001.62 लाख रु. की बचत (7493.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: सतह बिछाने के लक्ष्यों और जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गे पर बाढ़ से हुए नुकसान की मरम्मत करने में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - सड़क निर्माण कार्य'' - 964.30 लाख रु. की बचत (1857.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(गा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - केंद्रीय सड़क निधि से बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान'' - 431.20 लाख रु. की बचत (607.00

(III) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments" - saving of Rs.120.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs) was due to less proposals received from State Governments and non-receipt of sanctions.

(b) "Road Works" –

(i) "Maintenance By Roads Wing" - saving of Rs.2958.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.79210.00 lakhs) was due to non-accountal of expenditure incurred by the State Government/Union Territory due to long procedure of reimbursement in absence of Direct Payment Procedure in some of the states.

(ii) "National Highways Tribunals" - saving of Rs.182.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs) was due to setting up of less National Highway Tribunals.

(B) "Strategic and Border Roads" -

(a) "Road Works - Road Maintenance" - saving of Rs.1001.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7493.00 lakhs) was due to reductions in resurfacing targets and flood damage repairs on National Highways in J&K and North Eastern Region.

(b) "Other Expenditure-Road Work" - saving of Rs.964.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1857.00 lakhs) was due to reduction in targets planned inside Bhutan.

(C) "District and Other Roads- Road Works- Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without legislature" - saving of Rs.431.20 lakhs (against the sanctioned provision

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''अनुसंधान'' -

(i) ''सड़क सुरक्षा'' - 390.23 लाख रु. की बचत (3720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''माडल ड्राइवर प्रशिक्षण विद्यालय'' - 147.81 लाख रु. की बचत (980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से चालू परियोजनाओं के लिए निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' - 15436.04 लाख रु. की बचत (58654.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: सतह बिछाने और स्थायी निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कमी आने के कारण हुई।

(ii) ''सड़क रख-रखाव'' - 2366.29 लाख रु. की बचत (20496.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: सतह बिछाने संबंधी निर्माण कार्यों में कमी आने के कारण हुई।

(iii) ''हवाई ढुलाई प्रभार'' - 394.88 लाख रु. की बचत (824.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायुसेना द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए वायुयान संबंधी कामों के लिए वाउचर प्राप्त न होने के कारण हुई।

of Rs.607.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments without legislature.

(IV) Under Major Head "3055" – savings occurred under the following heads:-

(a) "Research" -

(i) "Road Safety" – saving of Rs.390.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3720.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for purchase of equipments.

(ii) "Model Drivers Training School" - saving of Rs.147.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.980.00 lakhs) was due to less demand of funds for on-going projects from the State Governments.

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants" –

(a) "Strategic and Border Roads – Road Works" -

(i) "Road Works under BRDB" - saving of Rs.15436.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58654.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing and permanent works target.

(ii) "Road Maintenance" – saving of Rs.2366.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20496.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing works.

(iii) "Air Lift Charges" - saving of Rs.394.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.824.00 lakhs) was due to non-receipt of vouchers from Air Force for the air efforts provided by them.

(ख) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान' - 4369.01 लाख रु. की बचत (148195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संविदाएं प्रदान करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) ''राज्य राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - अन्य अनुदान - राज्य की सड़कों के विकास के लिए अनुदान' - 265.40 लाख रु. की बचत (3054.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें' - 6896.24 लाख रु. की बचत (16206.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - दिल्ली में सड़कें' - 2157.00 लाख रु. की बचत (4384.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र, दिल्लीकी सरकार से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान- केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़क'' - 805.00 लाख रु. की बचत (855.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 150.72 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक थीं।

(b) "Grants for State Plan Schemes - Grants from Central Road Fund – Grants for State Road" – saving of Rs.4369.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.148195.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments and delay in award of contracts.

(c) "State Highways (Roads & Bridges) - Other Grants - Grants for development of State Roads" - saving of Rs.265.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3054.00 lakhs); and

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Road of Inter-State or Economic Importance" – saving of Rs.6896.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16206.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(VI) Under Major Head "3602" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads in Delhi" - saving of Rs.2157.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4384.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Government of Delhi.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme - Grants from Central Roads Fund - Road of Inter-State or Economic Importance" - saving of Rs.805.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.855.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territory Governments.

(VII) Under two heads savings of Rs.150.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (668.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - भूटान प्रतिपूरक भत्ता'' के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 627.00 लाख रु. था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.668.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2006 under Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads - Other Expenditure - Bhutan Compensatory Allowance". Actual excess, however, was Rs.627.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 384.27 लाख रु. का अधिक व्यय (6400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grant for Central Plan Schemes - Road Works under BRDB" - excess of Rs.384.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges	*570.00*	*292.37*	*–277.63*

(I) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *235.08 लाख रु.* की बचत (*500.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) विधिक प्रभारों/माध्यस्थ अधिनिर्णय से संबंधित कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - saving of *Rs.235.08 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500.00 lakhs*) was due to receipt of less cases on legal charges/arbitration award.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	95383.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–95383.00			
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1029492.00	1099368.32	1096757.65	–2610.67
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	69875.32			

(1) दो शीर्षों के अंतर्गत 95383.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य - 94883.00 लाख रु.; और

(खा) 'राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) - मशीनरी और उपस्कर - मशीनरियों की अधिप्राप्ति' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुईं।

(II) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - स्थायी पुल - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य'' के अंतर्गत 2324.43 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.95383.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "National Highways (Roads & Bridges) - Road Works - Road Development Works under Roads Wing and BRDB" - Rs.94883.00 lakhs; and

(B) "National Highways (Roads & Bridges) - Machinery & Equipment - Procurement of Machineries" - Rs.500.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5054" - "National Highways - Permanent Bridges –Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" – saving of Rs.2324.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 69.06 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.69.06 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (44782.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत अगस्त, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 44665.81 लाख रु. था।

6.(I) The above savings were partly (Rs.44782.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2006 under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works - Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas". Actual excess, however, was Rs.44665.81 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 14100.47 लाख रु. का अधिक व्यय (313172.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - excess of Rs.14100.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.313172.00 lakhs); and

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य - 10891.86 लाख रु. का अधिक व्यय (66075.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB" – excess of Rs.10891.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.66075.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष'4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

7. ***केन्द्रीय सड़क निधि:-***

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लिटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लिटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि

7. ***Central Road Fund:-***

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provision of 2000–2001 an additional tax of Rs.1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and

को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

वर्ष 2006-2007 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

अथशेष	
प्राप्तियां	
अदायगियां	
अंतशेष	

8. *राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:-*

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में 'राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

अथशेष	
प्राप्तियां	
अदायगियां	
अंतशेष	

releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

Opening Balance	3615,43,45
Receipts	8113,52,00
Payments	7963,33,55
Closing Balance	3765,61,90

8. *National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-*

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Account of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

The Account of the Fund for 2006–2007 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

Opening Balance	309,79,02
Receipts	80,00,00
Payments	66,75,57
Closing Balance	323,03,45